राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–2/2020

दायर दिनांकः–23.06.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. डालूराम पुत्र देवा
2. सुखाराम पुत्र देवा
3. सॉवता पुत्र देवा (फौत)
   3/1. ग्यानी पत्नि सॉवता
   3/2. मोहनी देवी पुत्री सॉवता
   3/3. मीरकी पुत्री सॉवता
   3/4. मोगा देवी पुत्री सॉवता
   3/5. सुप्यार पुत्री सॉवता
   3/6. संतोष पुत्री सॉवता
   3/7. रामदेव पुत्र सॉवता

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासीगण ग्राम खाजपुरा तहसील रूपनगढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कंवरी पत्नि दाना
2. नानूराम पुत्र दाना
3. बलभाराम पुत्र दाना
4. रामकरण पुत्र दाना
5. हरि पुत्र दाना
6. घासी पुत्र देवा
   सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम खाजपुरा तह0 रूपनगढ़
7. भंवरी पुत्री दाना पत्नि मोहन मुरावतिया हाल नि0 ग्राम भैरवाई
8. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक रूपनगढ
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0का0अधि0

निर्णय **दिनांक 16.8.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 133 खसरा नंबर 205 रकबा 2.1923 है0 भूमि ग्राम खाजपुरा पटवार हल्का जाजोता तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 205 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की निजी खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 198 में से दक्षिण दिशा की सींव मेड़ के सहारे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में पहुंच हेतु निकटतम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि ख0न0 198 की दक्षिण सींव मेड़ के सहारे होते हुए उसके आगे लगता हुआ रिकार्डेड रास्ता ख0न0 194 को जोड़ता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 205 के उत्तर दिशा में लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 198 है उसके आगे रिकार्डेड रास्ता ख0न0 194 की कृषि भूमि तक पहुंच के लिए रास्ते ख0न0 198 से लगती हुई अप्रार्थी 1 लगायत 7 की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 205 की उत्तर दिशा की सीमा सीव, मेड़ डोल के सहारे –सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य रिकार्डेड रास्ता खसरा संख्या 194 तक चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की कृषि भूमि ख0न0 198 की सींव, मेड़ के सहारे–सहारे होते हुए अपने [illegible] तक आ[illegible] जो रास्ता सुगम, सुलभ व निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि [illegible] 2[illegible] में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 198 [illegible] प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण [illegible] अपनी खातेदारी की कृषि आराजी ख0न0 205 तक की पहुंच के लिए अन्य कोई मार्ग/रास्ता नहीं है। वर्तमान औद्योगि[illegible] में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 12 फ[illegible] चौड़ा रास्ता होना आव[illegible]। ग्राम खाजपुरा के ख0न0 194 के पास में ख0न0 206 के खातेदार ने मौके पर कृषि भूमि पर मकान, पानी का हौज, कुआं व एक देवस्थान स्थापित किया हुआ है इसलिए ख0न0 206 से रास्ते की मांग नहीं की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:26:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण के पूर्वज भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की भूमि की दक्षिणी सींव मेड़ के सहारे–सहारे प्रार्थीगण की ख0न0 205 तक आते जाते रहे है। अप्रार्थी संख्या 8 को अप्रार्थीगण की भूमि रहन होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल ढ़ेल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 205 रकबा 2.1923 है0 के उत्तर दिशा स्थित अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के खातेदारी ख0न0 198 में से ख0न0 194 किस्म गै0मु0रास्ता तक पहुंच हेतु ख0न0 198 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता ख0न0 198 में से ख0न0 194 में पहुंचने हेतु चाहते है। ख0न0 194 रकबा 0.3883 है0 राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गै0मु0रास्ता दर्ज है मौका स्थिति अनुसार ख0न0 198 की दक्षिणी पश्चिमी कौने में पक्का निर्माण हो रखा है अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे अनुसार रास्ता न दिया जाकर नजरी नक्शे अनुसार रास्ता दिया जाना उचित होगा। नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थीगण को 12 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो कुल 00–03–00 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। ग्राम खाजपुरा की असिंचित भूमि की डी0एल0सी दर रूपये 13098/–प्रति बीघा के हिसाब से भूमि की कीमत 1965/–रू बनती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं बहस अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खाजपुरा के ख0न0 205 में आवागमन हेतु ख0न0 198 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का रकबा 00–03–00 बीघा होता है, जिसकी डी0एल0सी0 दर 13098/–प्रति बीघा के हिसाब से भूमि की कीमत 1965/– रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 3930/– रूपये अक्षरे– तीन हजार नौ सौ तीस रूपये बनती है। खसरा नम्बर 198 में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकबा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है–

क0स0 प	ख0न0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	198	कंवरी पत्नि दाना	0.0020	328
02	198	नानूराम पुत्र दाना	0.0005	328
03	198	बलभाराम पुत्र दाना	0.0020	328
04	198	रामकंरण पुत्र दाना	0.0020	328
05	198	हरि पुत्र दाना	0.0020	328
06	198	घासी पुत्र देवा	0.0020	1965
07	198	भंवरी पुत्री दाना	0.0020	328

प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व पत्रावली फाईल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:26:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)